राजस्थान सरकार

नगर नियोजन विभाग

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः टीपीआर 1120/एसएलसी/जोवि.प्रा., जोधपुर/02/2022/ 6947-82 **दिनांकः–** 2022

आदेश

विषयः–कृषि आधारित लघु–उद्योग प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि का मास्टर प्लान अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ अनुमत किये जाने बाबत्।

नगर पालिका/परिषद्/निगम/न्यास/प्राधिकरणों हेतु गठित राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की 169वीं बैठक दिनांक 04.05.2022 के एजेण्डा सं. 10/169 में जोधपुर विकास प्राधिरकरण द्वारा प्रेषित प्रस्तावानुसार कृषि आधारित लघु–उद्योग प्रयोजनार्थ जारी पट्टे भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरण में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के बिन्दु संख्या 06 के अनुसार निम्न निर्देश प्रदान किये गये हैं :–

"अन्य प्रकरणों जिनमें पूर्व में कृषि आधारित औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हो चुका हैं। उनमें मास्टर प्लान में औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग प्रस्तावित होने पर सामान्य उद्योग हेतु नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन, भू–रूपान्तरण एवं भवैन मानचित्र शुल्क इत्यादि लिया जाकर अनुमति स्थानीय स्तर पर ही दिया जाना उचित होगा।"

अतः राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के क्रम में संबंधित जोन के वरिष्ठ नगर नियोजक एवं समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किया जाता हैं कि उपरोक्त प्रकृत्ति के प्रकरणों में स्थानीय निकाय के स्तर से ही तकनीकी परीक्षण उपरान्त नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन, भू–रूपान्तरण एवं भवन मानचित्र शुल्क इत्यादि लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण/अनुमति प्रदान की जावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

29/07/2022

(आर.के. विजयवर्गीय)
मुख्य नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय भू–उपयोग
परिवर्तन समिति, राज. जयपुर।

क्रमांकः टीपीआर 1120/एसएलसी/जोवि.प्रा., जोधपुरं/02/2022/ 6947-82 **दिनांकः–** 2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रति संलग्न कर लेख है कि उपरोक्तानुसार सभी स्थानीय निकायो हेतु आदेश जारी करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. सचिव, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर/जयपुर/जोधपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, राजस्थान, समस्त।
8. मुख्य नगर नियोजक, एनसीआर, राजस्थान, जयपुर।
9. संबंधित जोनल/क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ/उप नगर नियोजक समस्त, राजस्थान, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

29/07/2022

(आर.के. विजयवर्गीय)
मुख्य नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय भू–उपयोग
परिवर्तन समिति, राज. जयपुर।

F:\SLC 2022\Orders Notification - Hindi.docx (3)

कार्यालय पता : जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर–302004
EPBX No. 2560838 , 2560963
Fax No. 0141-2563702, 2560985
Office e-mail : ctp-rj@nic.in
Website : http//udhrajasthan.gov.in